प्रेस विज्ञप्ति : 19 अक्टूबर 2013

66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना : घाटे का सौदा

ब्यास नदी पर प्रस्तावित 66 मेगावाट बिजली परियोजना पर कई सवाल उठाते हुये आज पालमपुर में हिमधरा, पर्यावरण समूह ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि परियोजना के पर्यावरणीय, आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का आंकलन किया जाये तो इस प्रोजेक्ट से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हैं।

ब्यास घाटी में बनी जल विद्युत और बाँध परियोजनाओं की श्रंखला में, पंडोह और पांग बाँधों के बीच, तीन और परियोजनाए प्रस्तावित हैं -141 मेगावाट थाना पलोन, 78 मेगावाट त्रिवेणी महादेव तथा 66 मेगावाट धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। तीनों परियोजनाओ में से धौलासिद्ध परियोजना की मंजूरी की कार्यवाही लगभग अंतिम चरण में है। सरकार की ओर से परियोजना को पर्यावरण और तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है एवं भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी काफी आगे पहुँच चुकी है। इस परियोजना से हमीरपुर तथा काँगड़ा जिले की 18 पंचायत के 44 गाँव के कम से कम 700 परिवार प्रभावित होंगे। । इस प्रोजेक्ट के लिये 70 मीटर उँचे बांध का निर्माण किया जायेगा जिसकी वजह से नदी के दांए व बाँए किनारों में खेती और चरागाह की 330 हेक्टेयर भूमि बाँध के डूब क्षेत्र में जायेगी। परियोजना से केवल 66 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिये हिमाचल जैसे क्षेत्र में इतनी अधिक भूमि को जलमग्न करने के पीछे सरकार की क्या सोच है यह स्पष्ट नहीं है। यदि अन्य दूसरी परियोजनाओं के लिये अधिग्रहित की जा रही भूमि से तुलना कि जाय तो यह आंकड़ा 8 से लेकर 250 गुना ज्यादा है।

सतलुज जल विद्युत् निगम, जो इस परियोजना के निर्माणकर्ता हैं, के द्वारा जारी सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार **भूमि अधिग्रहण** के बाद लगभग 80% प्रभावित परिवार सीमांत किसान बन जायंगे, जिनके पास बहुत ही कम खेती करने योग्य भूमि रह जायेगी। हिमधरा के सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र में अध्ययन के दौरान प्रभावित किसानों और परिवारों से बातचीत करने पर यह पता चला की अधिकतर लोगों को परियोजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। परन्तु आज तक बाँध प्रबंधन व प्रशासन ने मुआवजे की राशि घोषित नहीं की है। क्षेत्र के अधिकतर प्रभावित भूमिधारको को भूमि अधिग्रहण कानून की प्रक्रिया के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है और ना ही बाँध प्रबंधन व प्रशासन द्वारा दी गई ।जिन किसानों को परियोजना के बारे में पता है वो बहुत अच्छे, यानी बाजार के रेट से तीन गुना

ज्यादा मुआवजा मिलनें की उम्मीद ले कर बैठे हैं। और अब तो देश में नया भू-अधिग्रहण कानून लागू होने वाला है जिससे की सरकार मुआवजे की दर बढ़ाने पर मजबूर हो जायेगी। ऐसी स्थिति में परियोजना की लागत और अधिक हो जायेगी।

परन्तु लागत का यह सवाल अपने आप में काफ़ी पैचीदा है। जब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने परियोजना को तकनीकी मंजूरी दी थी तब इसकी लागत लगभग 497.5 करोड़ थी। 2012 के मूल्य स्तर के हिसाब से इस लागत में 55% बढ़त आयी और आज इस परियोजना की लागत 774.1 करोड़ है। इस आकड़े के हिसाब से प्रति मेगावाट बिजली पैदा करने की अनुमानित लागत 11.72 करोड़ पड़ती है जो काफ़ी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर लाहौल जैसे सीमांत इलाके में प्रस्तावित सेली परियोजना की प्रति मेगावाट लागत भी केवल 9 करोड़ रुपये है। । आज जब हिमाचल सरकार को अतिरिक्त बिजली के खरीदार नहीं मिल रहे और बिजली के दामों में लगातर गिरावट से (2013 में दो से तीन रुपये तक) बिजली से मिलनेवाले वाले राजस्व में कमी आ रही है।

परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों पर तो सरकार लगातार चुप्पी साधे है। ब्यास नदी में पहले ही बम्पर संख्या में प्रोजेक्ट लगे हैं। नदी का यह आखरी हिस्सा चंगर जैसे इलाके से गुजरता है। जहाँ पानी की कमी है और ब्यास नदी ही क्षेत्र की सिंचाई व पीने के पानी की जरुरतें पूरी कर रही है। धौला सिद्ध समेत तीन नयी परियोजनाओं से नदी का आखरी अविरल बहने वाला भाग भी सुख जायेगा जिससे स्थानीय जनता एंव में पर्यावरण को आने वाले समय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। “ हमनें कई बार पर्यावरण मंत्रालय से मांग की है कि नदी घाटी स्तर पर सभी चालू व प्रस्तावित परियोजनाओं का सामुहिक प्रभाव आंकलन होना चाहिये और उससे पहले किसी भी नयी परियोजना को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिये”, हिमधरा समुह ने बताया।

धौला सिद्ध परियोजना के मामले में समुह ने राज्य सरकार व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के सामने परियोजना की तकनीकि मंजूरी पर पुन: विचार करने की मांग रख रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क

प्रकाश भण्डारी 8627085766

सुमित महर 9459021415

www.himdhara.org

info@himdhara.org